आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –19/2021

कमल राम

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
15.05.2023	यह वाद समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–03/2017–18 में दिनांक–20.08.2018 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लौरिया द्वारा दिनांक 03.08.2016 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लौरिया के पत्रांक 77/आ० दिनांक 06.08.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के ज्ञापांक 652 दिनांक 16.08.2016 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से निम्न अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी :– (i) सूचना पट्ट प्रदर्शित नहीं पाया गया। (ii) भण्डार का सत्यापन करने पर भण्डार पंजी के अनुसार माह–जून 2016 का वितरण भण्डार पंजी पर अंकित नहीं था, जबकि माह–जूलाई, 2016 के खाद्यान्न का वितरण हो रहा था। भौतिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि माह–जूलाई, 2016 में उठाव किये गये खाद्यान्न वितरण के बाद गोदाम में अवशेष था।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

(iii) जाँच पदाधिकारी के वितरण पंजी की मांग करने पर आपके द्वारा वितरण पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iv) लाभुकों से आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। लाभुकों से आपके द्वारा गालीगलौज किया जाता है।

(v) लाभुकों के द्वारा कुछ कूपन जाँच पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया, जिसका खाद्यान्न उन्हें प्राप्त नहीं है, जबकि लाभुकों के राशन कार्ड पर अंकित कर दिया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, अपने आदेश ज्ञापांक 404 दिनांक 15.09.2016 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में वाद सं0–03/2017–18 दायर किया गया। पुनरीक्षणकर्ता के लगातार अनुपस्थित रहने एवं वाद में अरूची रहने के कारण समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 20.08.2018 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) पुनरीक्षणकर्ता को बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराये स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता के कारण–पृच्छा के जवाब पर विचार किये बिना अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा आदेश पारित कर दिया गया।

(iii) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रति माह किया जाता है।

(iv) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जाँच की तिथि दिनांक–27.09.2017 को निर्धारित समय पर दूकान खोली गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मौखिक निदेश दिया

WEB COPY NOT OFFICIAL

गया था कि उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को उपभोक्ताओं के आधार नंबर से लिंक करना है, जिसके आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 10:00 बजे पूर्वाह्न में दूकान बंद कर उपभोक्ताओं का आधार नंबर लेने हेतु प्रस्थान किया गया। इस आशय की सूचना सूचनापट्ट पर अंकित कर दिया गया था।

(v) सभी पंजियां बक्से में बंद थी, जिसकी चाभी पुनरीक्षणकर्ता के पुत्र के पास नहीं थी, जिसके कारण पंजियों का अवलोकन नहीं कराया जा सका।

(vi) श्री कमल राम को आवश्यक सामानों की आपूर्ति प्रत्येक माह नियमानुकूल की गयी। इस आशय का प्रमाण–पत्र मुखिया द्वारा दिया गया । पुनरीक्षणकर्ता की पुत्र–वधु गर्भवती थी, पेट में इन्फेक्शन के कारण बच्चा मर गया। इस विकट परिस्थिति के कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वितीय एवं तृतीय कारण–पृच्छा का जवाब देने में असमर्थ थे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा वादी के लगातार अनुपस्थिति के कारण उनके वाद को अस्वीकृत किया गया है जो सही है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में वादी के द्वारा वाद दायर करने के बाद लगातार दिनांक–06.06.2018, 13.07.2018 एवं 20.08.2018 को अनुपस्थित रहने के कारण उनके वाद में अभिरुचि नहीं रहने के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। जिस कारण वाद के गुण–दोष पर विचार नहीं किया जा सका है। उल्लेखनीय है निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक–20.08.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध वादी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक–19.02.2021 को वाद दायर किया है जो काफी विलंब से है। परन्तु वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विलंब को क्षांत करने हेतु बताया गया कि वादी मार्च 2017 से अक्टूबर 2020 तक महावीर कैंसर संस्थान एवं अन्य जगहों पर ईलाजरत थे साक्ष्य के रुप में चिकित्सीय पूर्जा भी संलग्न किया गया है। उसके

WEB COPY NOT OFFICIAL

बाद कोविड–19 के कारण वाद दायर करने में विलंब हुआ है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क साक्ष्यपूर्ण होने के कारण वाद दायर करने में हुए विलंब को इस न्यायालय के आदेश दिनांक–19.07.2021 द्वारा क्षांत कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी के वाद में अभिरुचि नहीं रहने के कारण निम्न न्यायालय द्वारा वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी है जिस कारण वाद के गुण–दोष पर विचार नहीं किया जा सका है। अतएव प्रस्तुत वाद को निम्न न्यायालय के समक्ष इस निदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद के गुण–दोष पर विचारोपरांत नियमानुकूल आदेश पारित करें। उपरोक्त निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL